

न्यायालय—दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-36 / 2018

संस्थित दिनांक-30.01.2018

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन// विरुद्ध //

1—मुबिन पिता स्व. शकुर खान, उम्र—23 वर्ष, जाति मुसलमान,

2—मुस्तकिन पिता स्व. शकुर खान, उम्र—28 वर्ष, जाति मुसलमान,

दोनो निवासी—वार्ड नंबर—8, कम्पाउडर टोला बैहर,

पुलिस थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियुक्तगण// निर्णय //

(आज दिनांक—31.01.2018 को घोषित)

1— अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324/34 का आरोप है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक—21.12.2017 को समय 16:30 बजे, थाना बैहर अंतर्गत चर्च एवं डम्पु भाईजान की दुकान के सामने मेन रोड बैहर, में अभियुक्त मुबिन ने अभियुक्त मुस्तकिन को फोन लगाकर, बुलाकर सामान्य आशय बनाकर सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त मुस्तकिन ने फरियादी फैजान को लोहे के खतरनाक आयुध बेल्टलेटर से एवं अभियुक्त मुबिन ने फरियादी को खतरनाक आयुध कुदाली से सिर में मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—21.12.2017 को शिवाजी पुलिस थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को शिवाजी ने रोजनामचा साप्ताहिक 40 दिनांक 21.12.2017 में दर्ज अस्पताल तहरीर फैयाज अहमद की जांच सी.एच.सी. बैहर में पहुंचकर की थी। जांच के दौरान साक्षी फैजान, मोहम्मद जुबेर खान, आमिर के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षीगण ने उनके कथन में बताया था कि दिनांक 21.12.2017 को बैहर स्टेडियम से क्रिकेट मैच देख कर वापस आते समय शाम करीब 04:30 बजे चर्च के सामने डम्पु भाईजान की दुकान के सामने पहुंचे थे कि उसी समय फैजान ने मुबिन खान को बोला था कि भैया की टीम हार गई है। इस बात पर से मुबिन ने कहा था कि फरियादी के बाप की टीम हार गई है।

उक्त बात पर से फैजान एवं मुबिन के बीच धक्का मुक्की झूमा झटकी होने लगी थी उसके बाद मुबिन ने उसके भाई मुस्तकिन को फोन करके बुलाया था। मुस्तकिन ने आकर डप्पु की दुकान में रखे लोहे के बेल्टलेटर को उठाकर फैजान के सिर में मार दिया था। तभी मुबिन ने डप्पु की दुकान में रखी कुदाली को उठाकर फैजान के सिर में मार दी थी। जिससे फैजान के सिर में चोट आयी थी। मोहम्मद जुबेर खान एवं अमिर खान आहत को उठाकर सी.एच.सी. बैहर ले गये थे। पुलिस थाना बैहर ने आहत का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-223/2017 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

3- प्रकरण में अभियुक्तगण पर निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धारा का आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया, समझाया था तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक-21.12.2017 को समय 16:30 बजे, थाना बैहर अंतर्गत चर्च एवं डप्पु भाईजान की दुकान के सामने मेन रोड बैहर, में अभियुक्त मुबिन ने अभियुक्त मुस्तकिन को फोन लगाकर, बुलाकर सामान्य आशय बनाकर सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त मुस्तकिन ने फरियादी फैजान को लोहे के खतरनाक आयुध बेल्टलेटर से एवं अभियुक्त मुबिन ने फरियादी को खतरनाक आयुध कुदाली से सिर में मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु का निराकरण :-

5- फैजान अहमद अ.सा.1 का कथन है कि घटना दिनांक 21.12.2017 की दिन के 4:30 बजे की है। साक्षी का अभियुक्तगण से विवाद हो गया था। साक्षी को अभियुक्तगण ने किसी हथियार से नहीं मारा था। पुलिस ने साक्षी के समक्ष घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.01 बनाया था एवं अभियुक्तगण को प्र.पी.02 एवं प्र.पी.03 के अभिरक्षा पत्रक द्वारा अभिरक्षा में लिया था। साक्षी के सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। जप्ती पंचनामा प्र.पी.04 एवं 05 पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं

किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है। फैजान अहमद अ.सा.01 ने अभियुक्तगण से राजीनामा करने के कारण प्रकरण की घटना का समर्थन नहीं किया है। राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं करायी है। फैजान अहमद अ.सा.01 की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय बनाकर सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त मुस्तकिन ने फरियादी फैजान को खतरनाक आयुध बेल्टीलेटर से एवं अभियुक्त मुबिन ने फरियादी को खतरनाक आयुध कुदाली से सिर में मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की थी। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 6- प्रकरण में अभियुक्तगण का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 7- प्रकरण में अभियुक्तगण के जमानत, मुचलका भारमुक्त किये जावें।
- 8- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुदाली एवं वेल्टीलेटर अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट किये जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही / -
(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट

सही / -
(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट